

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2018/

दिनांक :

संशोधित आदेश

रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पत्र क्रमांक : 189 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु पात्र संस्थाओं (मय आवंटित सीट) की पूर्व में भिजवाई गई सूची पत्र क्रमांक 176 दिनांक 16.08.2018 के क्रम संख्या 86 पर एवं 91 पर अंकित नर्सिंग संस्थाओं को आवंटित सीटों की संख्या में संशोधन किये जाने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक : क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-3)/2018/1523 दिनांक : 23.08.18 के द्वारा पूर्व में जारी की गई 149 पात्र निजी नर्सिंग स्कूलों की सीटों की संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फैंडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1	86	रघुकुल रिसर्च एण्ड टेक्निकल इन्स्टी., रघुकुल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा रोड, जयपुर	जयपुर	30	15	15	
2	91	राजस्थान नर्सिंग इन्स्टी. शेखावाटी शिक्षा एण्ड सामाजिक विकास संस्थान, नवलगढ रोड, सीकर	सीकर	40	20	20	

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

हस्ताक्षर -
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2018/1556

दिनांक : 4/8/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : 189 दिनांक 30.08.2018 के क्रम में।
3. सचिव/समन्वयक प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल फैंडरेशन, ई-277 लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित नर्सिंग स्कूल, जयपुर/सीकर, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु में अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
7. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर।
8. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर